

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वा लियर सर्किट कोर्ट रीवा
मोप्रो

निगरानी प्रोबुड / 015

286
29-7-15



Rs. 20/-

राजधान तनय रामपाल ब्रा० निवासी ग्राम पटना तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी, मोप्रो. ----- आवेदक

बनाय

रामभुवन तनय रामपाल ब्रा० निवासी ग्राम पटना तह०रामपुर नैकिन जिला
सीधी, मोप्रो. ----- अनावेदक

लक्ष्मी किराणिया मिश्रा एडवोकेट
29-7-15 के
रिवा कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अमरकलेक्टर जिला सीधी
दिनांक 30.06.015 जो निगरानी प्रोबुड 472/
निग./2011-12 में पारित किया गया ।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

- 1011 यह कि निर्णय व आदेश अमर कलेक्टर सीधी विधि एवं प्रक्रियाके विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।
- 1021 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की निगरानी निरस्त करने तथा तहसीलदार तह०रामपुर नैकिन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.015 को कायम रखने में एक महान् कानूनी भूल की है ।

1031 यह कि अधीनस्थ न्यायालयने इस बातपर कतई गौर नहीं किया कि आवेदक एवं अना० आपस में तगे भाई भाई है, जिनके मध्य हुए पंजीकृत

M

निरंतर...2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2951-II/15

जिला-सीधी

राजभान/रामभुवन ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 472/निग0/2011-012 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	